

04.01.2022:—आज यह पत्रावली प्रार्थी वकील के निवेदन पर पेशी में ली गई। प्रार्थी व अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का मूल वादपत्र में राजीनामा हो गया है। इस कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहता। इस कारण प्रार्थी का उक्त प्रार्थना-पत्र खारिज फरमाया जावे। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम पर हस्ताक्षर किये। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना गया।

अतः प्रार्थना-पत्र मूल वादपत्र में राजीनामा होने के कारण मौजूदा सूरत में ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

(डॉ अवि गर्ग)

उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक कलक्टर  
हनुमानगढ

